

वास्तविक निवास प्रमाण-पत्र

सामान्य 4838 व/121/14.5

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/श्री
आत्म/आत्म/पत्नी श्री शतिनाथ विश्वकर्मा
जो तहसील अकाल विश्वकर्मा जिला कोरिया
छत्तीसगढ़ में निवासी है, क्योंकि यह

यह छत्तीसगढ़ में निवासी है,

अथवा

2. (क) यह

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन)

छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा हो।

अथवा

उसके पालकों में से कोई भी :-

(क) राज्य शासन का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी हो,

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी हो, छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत हो,

अथवा

(क) वह स्वयं,

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हों परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता हो।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य शासन अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो, अथवा उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं उत्तीर्ण की हो अर्थात् -

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा। 2015

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियेट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा। 2013

(ग) अन्य मामलों में पाँचवीं कक्षा की परीक्षा। 2010

(क) छत्तीसगढ़ राज्य की आर्बिट्रट अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संतान एवं पत्नी।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों की संतान एवं पत्नी।

(ग) शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की पत्नी।

(घ) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधि (Statutory) पर्वों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान तथा उसकी पत्नी।

प्रवेश के स्थानीय निवासी माने जायेंगे।

प्रमाणित अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक : 18/08/15

टीप : जो अंश लागू न हो उन्हें काट दिया जायें।

प्रमाण एवं सील